



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

पत्रांक 1832 (अनु०)

दिनांक 26/11/19

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णियाँ।

विषय :- पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत मौजा-भेभरा, प्लॉट नं०-208, खाता नं०-142, थाना-रौटा, थाना नं०-69, जिला-पूर्णियाँ में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एक नया रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-790/सा०, पूर्णियाँ दिनांक 25.03.19 एवं मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना का पत्रांक-1091 (अनु०) दिनांक 24.10.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1091 (अनु०) दिनांक 24.10.19 के द्वारा पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत अमौर-बहादुरगंज पथ (SH-99) के 9वें कि०मी० में मौजा-भेभरा, प्लॉट नं०-208, खाता नं०-142, थाना-रौटा, थाना नं०-69, जिला-पूर्णियाँ में H.P.C.L. द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की 10.3 डी० जमीन को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 5(पाँच) वर्षों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश पत्रांक-4770(E) दिनांक 24.08.2017 तथा संकल्प ज्ञापांक-1921(S) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. अनुमोदित नक्शा की एक मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
2. प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद विभागीय संकल्प 1921(S) दिनांक 08.03.2018 द्वारा निर्धारित Renewal Fee आवेदक को ई-चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
3. समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निदेश का अनुपालन करना होगा।
4. विभागीय निदेश के आलोक में दो महिला शौचालय एवं दो पुरुष शौचालय जो मुख्य पथ से दिखाई दे, निर्माण करवाने के साथ उसकी साफ-सफाई सुनिश्चित की जाय

अनु० :- मूल नक्शा एक प्रति।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

01C

प्रो० अनवर कंसाही